प्रत्याशियों हेतु पात्रता मानदण्ड

1. वैध रुप से चुनाव हेतु अधिकतम आयु निम्नवत् होगी

   पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 22 वर्ष
   (4 एवं 5– वर्षीय व्यावसायिक पाठयक्रमों में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए क्रमशः 23 व 24 वर्ष होगी तथा यह उपबन्ध किया जाता है कि एलएल0बी0 एवं बी0एड0 के छात्रों के लिए क्रमशः 25 वर्ष एवं 24 वर्ष तक होगी।)

   परास्नातक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 25 वर्ष
   यह उपबन्ध किया जाता है कि एलएल0एम0 के विद्याार्थियों के लिए यह अधिकतम 28 वर्ष तथा एम0टेक0 एवं एम0एड0 के लिए यह अधिकतम 26 वर्ष होगी।

   शोघ छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष (प्रतिभागी ने शोध की न्यूनतम आवासीय अवधि पूरी न किया हो।)

(नोटः प्रत्याशी की आयु गणना हेतु नामांकन पर्चा दाखिल करने की निर्धारित तिथि ही सीमा तिथि मानी जायेगी।)

2. पदाधिकारी अथवा कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रत्याशी ने चुनावी वर्ष के पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य औसत ग्रेड अंक (CGPA) अर्जित किये हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रों के लिये अर्हता 50 प्रतिशत या समतुल्य औसत ग्रेड अंक होगी।

3. प्रत्याशी की विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति अथवा 75% ,जो भी अधिक हो, रही हो।

4. प्रत्याशी जिस वर्ष में चुनाव प्रत्याशी होगा उस वर्ष में न तो उसके पास कोई अकादमिक अवशेष हो तथा न ही वह विश्वविद्याालय की किसी परीक्षा में अनुतीर्ण हुआ हो।

5. **प्रत्याशी को पद पर निर्वाचित होने हेतु एक अवसर उपलब्ध होगा तथा कार्यसमिति (Executive Committee) के सदस्य होने कि लिए दो अवसर प्राप्त होंगें।**

6. प्रत्याशियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी अर्थात उस पर आपराधिक विचारण (Trial) न चला हो तथा/अथवा किसी आपराधिक कार्य अथवा दुष्कृत्य के लिये दंडित न हुआ हो। विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की गयी हो, उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित/निलंबित न किया गया हो और विश्वविद्यालय परीक्षा में उसे अनुचित साधन प्रयोग करने हेतु दण्डित न किया गया हो।

7. प्रत्याशी को एक विधायी , पूर्ण–कालिक अध्यादेश LXVII के खण्ड (Clause)-1 उपखण्ड क मे पारिभाषित पाठ्यक्रम (जो एक वर्ष से कम की समयावधि का न हो)का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिये।